संख्या-24/2020/847/पन्चानबे-2020-

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड अनुभाग   लखनऊ, दिनांक : 19 मई, 2020

विषय : विभिन्न ड्यूटियों पर तैनात होमगार्डस के नोवल कोरोना (कोविड-19) से संक्रमित होने अथवा कोरेन्टाइन/आइसोलेट किये जाने पर उन्हे ड्यूटीरत मानते हुए ड्यूटी भत्ता का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3667/लेखा/ड्यूटी-16/2014 (पार्ट-1) दिनांक 06 मई, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में नोवल कोरोना (कोविड-19) के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए डियूटी के कारण होमगार्डस स्वयंसेवकों अथवा अवैतनिक अधिकारियों के संक्रमित होने, आईसोलेट/कोरेन्टाइन किये जाने की अवधि को अपरिहार्य उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती मानते हुए शासनादेश संख्या-491/27-4(14)एच0जी0/79 दिनांक: 04-07-1980 के क्रम में ड्यूटी भत्ते के भुगतान किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :-

(1) यदि कोई होमगार्डस स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारी ड्यूटी के दौरान कोरेन्टाइन किया जाता है तो ड्यूटी की अवधि में कोरेन्टाइन रहने की अवधि को ड्यूटी मानते हुए ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

(2) यदि कोई होमगार्डस स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारी कोविड-19 के कारण ड्यूटी के दौरान आईसोलेट/संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती होता है तो भर्ती रहने की अवधि तक उसे ड्यूटी पर मानते हुए ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जायेगा, चाहे उसकी ड्यूटी अगले माह न लगी हो।

(3) यदि कोई होमगार्ड स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारी, विगत माह में ड्यूटी पर तैनात हो और अगले माह में ड्यूटी न लगी हो, ड्यूटी समाप्ति के पश्चात कोरोना संक्रमित होने की मेडिकली प्रेसक्राइब्ड अधिकतम अवधि के अन्दर कोरोना संक्रमित पाये जाने के कारण उपचार हेतु

...............2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

अस्पताल में भर्ती होता है, तो अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि को भी शासनादेश दिनांक 04.07.1980 के क्रम में ड्यूटी पर मानते हुए ड्यूटी भत्तेका भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,
अनिल कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-24/2020/847(1)/पन्चानबे-2020-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल, होमगाडर्स, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट होमगार्डस, उ0प्र0।
3. समस्त जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस, उ0प्र0।
4. समस्त कमाण्डेण्ट, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्डस, उ0प्र0।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
निर्मला श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।